

हरियाणा में एस्मा कानून लागू

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2022 को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनलि वजि ने बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति के दौरान डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब 6 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

प्रमुख बंदि

- स्वास्थ्य वंभिग के मुताबकि, हरियाणा सविलि मेडिकल सर्वसि एसोसिएशन की 14 जनवरी की संभावति हड़ताल की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधनियिम) लागू कर दिया है।
- एस्मा की अधसूचना के अनुसार स्वास्थ्य वंभिग, हरियाणा की वंभिन्न संस्थाओं, जैसे- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मशिन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संवदि, दैनिकि मज़दूरी, मानदेय इत्यादि पर नयोजति व्यक्तियों सहति कार्यरत् डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना प्रतबिंधति है।
- हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधनियिम, 1974 (1974 का 40) की धारा 4-क की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किये गए हैं।